न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 58/2007 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सत्यवानसिंह पुत्र भोलाराम जाति अहीर निवासी सिहालीखुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:---- अपीलांट

बनाम

1 नवलसिंह पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी सिहालीखुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:-- असल रेस्पो0

2 शेरसिंह पुत्र जमूरा जाति अहीर निवासी सिहालीखुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

3 उप पंजियक मुण्डावर जिला अलवर

4 रामनिवास

5 देवेन्द्र पुत्रान शेरसिंह

6 सुनीता बेवाह लक्ष्मीनारायण

7 मुकेश पुत्र लक्ष्मीनारायण

8 प्रियंका पुत्री लक्ष्मीनारायण नाबालिगान जरिये सरपपरस्त माता खुद सुनीता

9 सुनीलकुमार पुत्र शेरसिंह

10 ब्रहमप्रकाश पुत्र शेरसिंह जाति अहीरान निवासीयान सिहालीखुर्द

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर
दिनांक 1.3.2007

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :- उपस्थित नहीं ।

निर्णय दिनांक 12/1/19

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 209/2006 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 1.3. 2007 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी वादी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत न्यायालय में धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 346 रकबा 70 एयर, 349 रकबा 65 एयर, 986 रकबा 96 एयर, 987 रकबा 1 है0 5 एयर, 988 रकबा 95 एयर, 1018 रकबा 86 एयर, 1054 रकबा 72 एयर, 1055 रकबा 19 एयर, 1067 रकबा 1 है0 21 एयर, 332 रकबा 1 हे0 38 एयर वाके ग्राम सिहालीखुर्द तहसील मुण्डावर पक्षकारान के पिता व दादा जमूरा की खातेदारी की थी, जो पक्षकारान को विरासत में प्राप्त हुई है । सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज है । वादी प्रार्थी के दादा के नाम भूमि अधिक होने के कारण सीलिंग के समय दिनांक 31.7.59 को जमूरा ने अप्रार्थी संख्या 01 शेरसिंह के नाम उक्त आराजी तमलीक कर दी तथा तमलीक के जरिये अप्रार्थी संख्या 01

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अपील अधिकारी, मुण्डावर

Scanned by CamScanner

ने राजस्व रेकार्ड में आराजी अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा ली । अप्रार्थी संख्या 01 ने आराजी खरीद नहीं की थी । बल्कि जमूरा के हक त्याग से मिली है । भूमि संयुक्त परिवार की है । इसलिये प्रार्थी का 1/7 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 01 का 1/7 हिस्सा तथा शेष अप्रार्थीगण का 5/7 हिस्सा है । अप्रार्थी संख्या 01 ने आराजी खसरा नम्बर 1018 रकबा 86 एयर का 1/3 भाग अप्रार्थी संख्या 02 सत्यवान सिंह को बेचान कर दिया है । वह सम्पूर्ण आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है । अतः उसे पाबन्द किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1018 रकबा 86 एयर वाके ग्राम सिहालीखुर्द तहसील मुण्डावर दादालाई की आराजी न होकर तरतीबी रेस्पो0 संख्या 02 शेरसिंह की स्वयं पैदाकर्दा आराजी है । वह इस भूमि का रेकार्डेड खातेदार है । मैंने यह भूमि उससे खरीद की है । मैं सदभावी क्रेता हूं । मेरे हक में इंतकाल संख्या 62 तस्दीक हो गया है तथा राजस्व रेकार्ड में मेरी खातेदारी का इन्द्राज हो चुका है । स्वयं तरतीबी रेस्पो0 शेरसिंह ने आराजी स्वयं की पैदाकर्दा होना एवं मेरे पक्ष में बेचान करना स्वीकार किया है । विवादित आराजी खसरा नम्बर 1018 रकबा 86 एयर को तरतीबी रेस्पो0 शेरसिंह के पिता जमूरा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज शेरसिंह को दे दी गई और शेरसिंह उक्त आराजी खातेदार हो गया । इस प्रकार उक्त विवादित भूमि शेरसिंह की स्वअर्जित है । मैं आराजी का सदभावी क्रेता खातेदार हूं । कानूनन मुझको टी0 आई0 से पाबन्द नहीं किया जा सकता । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस तर्कों पर गौर किया । अपीलांट के कथनों को सुनने एवं धारा 212 के प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अध्ययन करने के उपरान्त हमारे समक्ष यह बिन्दू उभरकर सामने आता है कि विवादित आराजी तरतीबी रेस्पो0 शेरसिंह की स्वअर्जित आराजी है अथवा संयुक्त खानदान की आराजी है । इस सम्बन्ध में हमने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

तहत न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 31.7.59 की फोटो प्रति का अवलोकन किया । इस दस्तावेज के द्वारा जमूरा ने अपने पुत्र शेरसिंह को खाने कमाने के लिये विवादित आराजीयात तमलीक की थी । अर्थात जमूरा ने विवादित आराजीयात का समर्पण शेरसिंह को रोजी रोटी के लिये किया था । इस दस्तावेज में कहीं पर यह अंकित नहीं है कि विवादित आराजीयात शेरसिंह को जमूरा ने प्रतिफल लेकर हस्तांतरित की हो । उक्त तमलीक (समर्पण) एक निश्चित्त प्रयोजन अर्थात रोजी रोटी के लिये किया गया था, जो स्वअर्जन की श्रेणी में नहीं आता है । तमलीक में प्राप्त की गई भूमि को हस्तांतरण करने का स्वत्तव प्राप्त नहीं होता है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह सिद्ध है कि विवादित भूमि शेरसिंह की स्वअर्जित आराजी नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

5 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1.3.2007 यथावत रखा जाता है ।

6 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर

Scanned by CamScanner